रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 3—मार्च 9, 2019, शनिवार/फाल्गुन 12—फाल्गुन 18, 1940
No. 10] NEW DELHI, MARCH 3—MARCH 9, 2019, SATURDAY/ PHALGUNA 12— PHALGUNA 18, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

का.आ. 316.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सुचीन्द्र मिश्र के स्थान पर श्री राजीव कुमार, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से अथवा अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मण्डल में निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा. सं. 7/11/2018-एसी]

ए. के. दास, उप सचिव

1409/2017 under section 420, 468, 477A, 471 IPC and section 629 A Companies Act 1956, registered at P.S. Gomti Nagar, Distt. Lucknow in this regard and conspiracy in relation there to other offence/offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/12/2018-AVD-II]

S.P.R. TRIPATHI, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

(एएआई अनुभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2019

का.आ. 321.—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का संख्या 55) के खंड 3 तथा खंड 5 के उप-खंड 1(ii) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से केन्द्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नागर विमानन मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक मंडल में अंश-कालिक सदस्य के रूप में करती है:

I श्री अरूण कुमार, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, सुश्री गार्गी कौल, पूर्व अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय के स्थान पर।

II श्रीमती रूबिना अली, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

[सं. एवी-24015/2/2015-एएआई-एमओसीए]

पी. जे. थॉमस, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(AAI Section)

New Delhi, the 11st February, 2019

S.O. 321.—In exercise of the powers conferred under Section 3 and sub-section 1(ii) of Section 5 of the Airports Authority of India Act, 1994 (No. 55 of 1994), the Central Government hereby appoints following Officers of the Ministry of Civil Aviation as part-time Members on the Board of Airports Authority of India with immediate effect for a period of three years or until further orders, whichever is earlier:

I Shri Arun Kumar, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Civil Aviation vice Ms. Gargi Kaul, former AS&FA, Ministry of Civil Aviation

II Smt. Rubina Ali, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation

[No. AV-24015/2/2015-AAI-MOCA]

P. J. THOMAS, Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2019

का.आ. 322.–केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6, तारीख 2 जनवरी, 2018, और जो भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 6 जनवरी, 2018 में प्रकाषित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 427.993 हेक्टेयर (लगभग) या 1057.57 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आषय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेष सरकार से परामर्ष करने के पष्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 427.993 हेक्टर (लगभग) या 1057.57 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि के और उसके सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में यथावर्णित 427.993 हेक्टर (लगभग) या 1057.57 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और उसके सभी अधिकार अर्जित किए जाते है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/ (पीएलजी)/ भूमि/524, तारीख 19 दिसम्बर, 2018 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला अनुपपुर (मध्य प्रदेष) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक,1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता – 700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर –495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

झिरिया पश्चिम ओसीपी, हसदेव क्षेत्र

जिला– अनुपपुर, मध्य प्रदेश

[रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/(पीएलजी)/भूमि/524, तारीख 19 दिसम्बर, 2018] सभी अधिकारः

(क) राजस्व भूमिः

सारणी

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	जनरल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	भलमुडी	225	52	कोतमा	अनुपपुर	97.656	शग
2.	फुलकोना	229	55	कोतमा	अनुपपुर	9.820	शग
3.	बनगवॉ	224	51	कोतमा	अनुपपुर	1.152	शग
4.	पडरीटोला	222	50	कोतमा	अनुपपुर	0.950	शग
कुल : 109.578 हेक्टर (लगभग) या 270.77 एकड़ (लगभग)							

(ख) वन भूमिः

सारणी

क्रम सं.	वन का नाम	कम्पार्टमेंट संख्या	रेंज	डिविजन	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मलगा आरक्षित वन	496(भाग), पी 498(भाग), पी 494(भाग), पी 488(भाग), पी 492(भाग), 502 (भाग)	कोतमा	अनुपपुर	318.415	भाग
कुल : 318.415 हेक्टर (लगभग) या 786.80 एकड़ (लगभग)						

कुल योग (क+ख): 427.993 हेक्टर (लगभग)

या 1057.57 एकड़ (लगभग)

राजस्व भूमि में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांकः

1. ग्राम भलमुडी (शग) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 5/1 (भाग), 5/2 (भाग), 6 से 8, 9 (भाग), 10 से 12, 13 (भाग), 18 (भाग), 20 से 22, 23 (भाग), 24 से 28, 29 (भाग), 56 (भाग), 60 (भाग), 61 (भाग) से 63 (भाग), 73 (भाग) से 75 (भाग), 76 से 116, 117 (भाग), 118, 119 (भाग), 121 (भाग), 122 (भाग), 123 से 132, 133 (भाग), 136 (भाग), 137 से 148, 149 (भाग), 150 से 156.

2. ग्राम फुलकोना (शग) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 1186 (भाग), 1187 (भाग), 1188 (भाग), 1189 (भाग), 1288 (भाग), 1289 से 1292, 1293 (भाग), 1294 (भाग) से 1296 (भाग), 1297.

3. ग्राम बनगवॉ (शग) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 154 (भाग), 156 (भाग), 157 (भाग), 160 (भाग), 161, 164 (भाग), 175 (भाग), 176 (भाग)

4. ग्राम पडरीटोला (शग) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 174 (भाग)

सीमा वर्णन :

क–ख रेखा बिन्दु ''क'' से आरंभ होती है और ग्राम डुमरकछार–बनगवॉ के भागतः सम्मिलित सीमा, प्लाट संख्या 176, 175, ग्राम भलमुडी–बनगवॉ के भागतः सम्मिलित सीमा से होती हुई बिन्दु ''ख'' पर मिलती है।

ख–ग रेखा बिन्दु ''ख'' से आरंभ होती है और ग्राम भलमुडी के प्लाट संख्या 136, 133, 117, 121,122, 119, 117, 73, 74, 75, 63, 29, 60/3, 62, 61, 60/1 से होती हुई बिन्दु ''ग'' पर मिलती है।

ग–घ रेखा बिन्दु ''ग'' से आरंभ होती है और ग्राम बनगवॉ के प्लाट संख्या 156, 157, 160, 164, 154 से होकर ग्राम पडरीटोला में प्रवेष कर प्लाट संख्या 174 से गुजरती हुई बिन्दु ''घ'' पर मिलती है।

घ–ङ रेखा बिन्दु ''घ'' से आरंभ होती है और ग्राम पडरीटोला के प्लाट संख्या 174 से होकर ग्राम बनगवॉ में प्रवेष करती है एवं प्लाट संख्या 154, 164, 160, 157, 156 से होकर ग्राम भलमुडी में प्रवेष करती है और प्लाट संख्या 60/1, 56/2, 56/1, 60/1, 60/3, 29, 23, 5/2, 5/1, 9, 13, 18 से होती हुई बिन्दु ''ङ'' पर मिलती है।

ङ–च रेखा बिन्दु ''ङ'' से आरंभ होती है और ग्राम फुलकोना के प्लाट संख्या 1186, 1187, 1188, 1189, 1288 से होती हुई बिन्दु ''च'' पर मिलती है।

च–छ रेखा बिन्दु ''च'' से आरंभ होती है और ग्राम फुलकोना के प्लाट संख्या 1297 के दक्षिणी सीमा, 1296, 1295, 1294, 1292, 1293 से होती हुई बिन्दु ''छ'' पर मिलती है।

छ–क रेखा बिन्दु ''छ'' से आरंभ होती है और ग्राम डुमरकछार के प्लाट संख्या 2, 1 से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु ''क'' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/41/2017 –एलए एण्ड आईआर]

राम षिरोमणि सरोज, उप सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 5th March, 2019

S.O. 322.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 6, dated the 2nd January, 2018, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act. 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th January, 2018, the Central Government gave notice of its intention to acquire 427.993 hectares (approximately) or 1057.57 acres (approximately) of land and all rights in or over such land specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Madhya Pradesh, is satisfied that the land measuring 427.993 hectares (approximately) or 1057.57 acres (approximately) and all rights in or over such land as described in the Schedule appended hereto, should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 427.993 hectares (approximately) or 1057.57 acres (approximately) and all rights in or over such land as described in the said Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number SECL/BSP/GM/(PLG)/LAND/524, date the 19th December, 2018 of the area covered by this notification may be inspected at the Office of the Collector, District Anuppur (Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata – 700001 or at the Office of the South Eastern Coalfield Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh).

SCHEDULE

Jhiria West OCP, Hasdeo Area

District Anuppur, Madhya Pradesh

[Plan bearing number SECL/BSP/GM/(PLG)/LAND/524, date the 19th December, 2018]

All Rights:

(A) Revenue land:

TABLE

Sl. No.	Name of village	General number	Patwari halka number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bhalmudi	225	52	Kotma	Anuppur	97.656	Part
2.	Fulkona	229	55	Kotma	Anuppur	9.820	Part
3.	Bangawan	224	51	Kotma	Anuppur	1.152	Part
4.	Padritola	222	50	Kotma	Anuppur	0.950	Part
Total: - 109.578 hectares (approximately) or 270.77 acres (approximately).							

(B) Forest land:

TABLE

Sl. No.	Name of Forest	Compartment number	Range	Division	Area in hectares	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Malga Reserve Forest	496(Part), P498(Part), P494(Part), 488(Part), P492(Part), 502(Part)	Kotma	Anuppur	318.415	Part
Total: - 318.415 hectares (approximately) or 786.80 acres (approximately).						

Grand Total (A+B)**:** 427.993 hectares (approximately)

or 1057.57 acres(approximately)

Plot numbers acquired under revenue land:

1. Plot numbers acquired in village Bhalmudi (Part): 5/1(P), 5/2(P), 6 to 8, 9(P), 10 to 12, 13(P), 18(P), 20 to 22, 23(P), 24 to 28, 29(P), 56(P), 60(P), 61(P) to 63(P), 73(P) to 75(P), 76 to 116, 117(P), 118, 119(P), 121(P), 122(P), 123 to 132, 133(P), 136(P), 137 to 148, 149(P), 150 to 156.

2. Plot numbers acquired in village Fulkona (Part): 1186(P), 1187(P), 1188(P), 1189(P), 1288(P), 1289 to 1292, 1293(P), 1294(P) to 1296(P), 1297.

3. Plot numbers acquired in village Bangawa (Part): 154(P), 156(P), 157(P), 160(P), 161, 164(P), 175(P), 176(P).

4. Plot numbers acquired in village Padritola (Part): 174(P).

Boundary description:

A-B Line starts from point 'A' and passes along partly common boundary of villages Dumarkhchhar-Bangawan, through plot number 176, 175, along partly common boundary of villages Bhalmudi-Bangawan and meets at point 'B'.

B-C Line starts from point 'B' and passes in village Bhalmudi through plot number 136, 133, 117, 121, 122, 119, 117, 73, 74, 75, 63, 29, 60/3, 62, 61, 60/1 and meets at point 'C'.

C-D Line starts from point 'C' and passes in village Bangawan through plot number 156, 157, 160, 164, 154 and enter in village Padritola and passes through plot number 174 and meets at point 'D'.

D-E Line starts from point 'D' and passes in village Padritola through plot number 174 then enter in village Bangawan and passes through plot number 154, 164, 160, 157, 156 then enter in village Bhalmudi and passes through plot number 60/1, 56/2, 56/1, 60/1, 60/3, 29, 23, 5/2, 5/1, 9, 13, 18 and meets at point 'E'.

E-F Line starts from point 'E' and passes in village Fulkona through plot number 1186, 1187, 1188, 1189, 1288 and meets at point 'F'.

F-G Line starts from point 'F' and passes in village Fulkona along southern boundary of plot number 1297, through plot number 1296, 1295, 1294, 1292, 1293 and meets at point 'G'.

G-A Line starts from point 'G' and passes in village Dumarkachhar through plot number 2, 1 and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/41/2017-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2019

का. आ. 323.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1470, तारीख 11 अक्तूबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 13 अक्तूबर, 2018 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 2.495 हेक्टेयर (लगभग) या 6.17 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विहित उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त है ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 2.495 हेक्टेयर (लगभग) या 6.17 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक एमसीएल/केए/अधिसूचना/2018-19/1091, तारीख 5 दिसम्बर, 2018 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला अंगुल, ओडिशा के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या निदेशक (ओपी), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, डाकघर बुर्ला, जिला सम्बलपुर, ओडिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अर्जन के संबंध में आपत्तियाँ, निम्नलिखित उपबंध है:-

"8. (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसके संबंध में धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

2. उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो